न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2856/2006/धौलपुर

1– रामलाल पुत्र जंगलिया जाति जाटव निवासी ग्राम नदोरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान।
2– महाराज सिंह पुत्र रोशना जाति ठाकुर निवासी देवखेड़ा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– मित्तसिंह
2– राजपति
पुत्रान मोहरसिंह जाति धोबी निवासी देवखेड़ा तहसील राजखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक 19–9–25

निर्णय

1– अपीलांट् ने यह द्वितीय अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के अपील संख्या 137/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2– संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम महदवार नम्बर दो तहसील राजाखेड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 4071 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 4072 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 4073 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 4140 रकबा 1 बीघा 02 के बाबत एक वाद धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–1994 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर

अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट्सने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक निर्णय डिक्री में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार राजाखेडा को स्पष्ट आदेश देते हुए निर्देशित किया था कि विवादित आराजी के खसरा नम्बरान में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बना कर भेजे ना कि बाहमी बँटवारे के अनुसार काबिज अनुसार इसके उपरांत भी तहसीलदार राजाखेडा ने बहामी बॅटवारे को आधार बना कर जिस प्रकार से कुरेजात प्रस्ताव प्रस्तुत किये वे न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में दिये गये निर्देशानुसार नहीं हैं इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी विधिक आधार के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर गंभीर विधिक भूल की हैं जिन्हें न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में स्वयं स्वीकार किया हैं कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट की लिखित बहस व नजीरों के खण्डन में कोई भी मौखिक अथवा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की हैं इसके उपरांत भी विधि के बाध्यकारी प्रावधानों के विपरीत जाकर अखण्डनीय कथनों व नजीरों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित कर गंभीर विधिक भूल की हैं। तहसीलदार राजाखेडा के द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव से स्पष्ट हैं कि उसने वादग्रस्त आराजियात का विभाजन निर्णय डिकी दिनांक 26/8/94 में दिये गये निर्देशानुसार नहीं किया हैं इसके उपरांत भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर त्रुटि की हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। तहसीलदार राजाखेडा ने कुर्रेजात प्रस्ताव प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री में दिये गये निर्देशानुसार तैयार नही किये हैं। तहसीलदार राजाखेड़ा ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल नियम) के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–09–1994 पटवारी द्वारा तैयार किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26–08–1994 की पालना में नियम 18 से 21 की पालना कर पुनः विभाजन

प्रस्ताव तैयार कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर को प्रतिप्रेषित किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अवलोकन व अध्ययन किया गया।

5 पत्रावली के अवोलकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम महदवार नम्बर दो तहसील राजाखेड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 4071 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 4072 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 4073 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 4140 रकबा 1 बीघा 02 के बाबत एक वाद धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–1994 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

6 अधीनस्थ विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न तहसीलदार, राजाखेड़ा द्वारा प्रेषित कुरेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शे का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19–09–94 को संबंधित पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी द्वारा तैयार कुर्रा रिपोर्ट (मौका रिपोर्ट) तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा दिनांक 21–09–1994 को विचारण न्यायालय को अग्रेषित की गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तैयार नहीं की गई है तथा संबंधित पटवारी हल्का से तैयार करवाई गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। मण्डल की वृहदपीठ के निर्णय 2017 आरबीजे पेज 299 में यह प्रतिपादित किया गया है कि मौके पर तहसीलदार स्वयं को जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। सहायक कार्मिको की सहायता ले सकता है। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2023 (1) आरआरटी पेज 78 में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम, 1955 के नियम 21– के अनुसार तहसीलदार स्वयं भूमि के विभाजन के प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर व सील के द्वारा तैयार करेगा। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2022(2) आरआरटी पेज 988 में यह प्रतिपादित किया गया है कि–"Preparation of partition proposal by Tehsildar is mandatory." उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर पटवारी द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर आराजी जैर का विभाजन स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30–09–1994 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है तथा विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित निर्णय व अंतिम डिक्री का समर्थन व पुष्टि करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 समर्थन योगय नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

7 परिणामतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत् अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 व अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–1994 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मंडल की वृहद पीठ द्वारा इस सम्बन्ध में पारित निर्णय व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसरण में उभय पक्षों को सूचना देते हुये सबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार की गई विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट प्राप्त करें और उभय पक्षों को सुनकर विवादित आराजी के विभाजन की पुनः अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–10–2025 को उपस्थित होवे। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष